डी-1 डी-10

प्र.पी.-26

D-1.

थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टीकरप्शन ब्यूरो, जय जवान पेट्रोल पम्प के सामने, जी.ई रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/ब्यूरो/राय/थाना/ 12 /2015 रायपुर, दिनांक–12.02.2015

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
एंटीकरप्शन ब्यूरो, रायपुर,
जिला–रायपुर, (छत्तीसगढ़)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक एन्टीकरप्शन ब्यूरो रायपुर (छ.ग.) प्राप्ति/प्रेषण क्रमांक 1254 दिनांक 16-2-15

विषय :– असल नम्बर पर अपराध पंजीकरण करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक/पुअ/एसीबी/1165/2015 रायपुर दिनांक– 12.02.2015

—000—

आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टीकरप्शन ब्यूरो, रायपुर (छ0ग0) में आरोपी कमशः (1) श्री शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर, (2) श्री अरविंद धूव, स्टेनो टायपिस्ट, (3) श्री जीतराम यादव, सीनियर असिस्टेंट, (4) श्री त्रिनाथ रेड्डी, ए.ए.ओ., (5) श्री कीर्तिकांत बारीक, स्टेनो टायपिस्ट, (6) श्री डी0के0 चन्द्रवंशी, ए.ओ., (7) श्री जी0के0 देवांगन, ए.ओ., (8) श्री गिरीश शर्मा, एमडी नॉन का पीए, (9) श्री सतीश कैवर्त, क्यू.आई., केशलूर जिला जगदलपुर, (10) श्री हरीश सोनी, क्यूआई. कांकेर जिला कांकेर, (11) श्री क्षीरसागर पटेल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्यू.आई. रायगढ़, (12) श्री आलोक चन्द्रवंशी, क्यू.आई. राजनांदगांव, (13) श्री हरदीप सिंह भाटिया, प्रभारी क्यू.आई. (तकनीकी सहायक) वेयर हाउस धमतरी, (14) श्री एस0के0 चंद्राकर, क्यू.आई. रायपुर, (15) श्री सुधीर कुमार भोले, ए.ए.ओ. रायपुर, (16) श्री विशाल सिन्हा, क्यू.आई. अंबिकापुर, (17) श्री योगेश गुप्ता, क्यू.आई. प्रतापपुर, (18) श्री के0के0 यदु, जिला प्रबंधक बिलासपुर, (19) श्री टी0डी0 हरचंदानी, जिला प्रबंधक धमतरी, (20) श्री आर0एन0 सिंह, जिला प्रबंधक सूरजपुर, (21) श्री एन0के0 धुरंधर, डी0ई0ओ0 महासमुंद, (22) श्री डी0के0 शर्मा, नॉन वेयर हाउस प्रभारी बालोद, (23) श्री डी0पी0 तिवारी जिला प्रबंधक बालोद, (24) श्री संदीप अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी रायपुर, (25) श्री डी0एस0 कुशवाहा, क्वालिटी कन्ट्रोल असि0 मैनेजर रायपुर, (26) श्री आर0पी0 पाठक, क्वालिटी कंट्रोल असि0 मैनेजर, (27) मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला, (28) एवं अन्य के विरूद्ध अपराध कमांक–09/2015 धारा–109, 120बी भारतीय दण्ड विधान एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)डी, 13(2) का अपराध दिनांक– 12.02.2015 को पंजीबद्ध किया गया है।

143 18/02/15

प्रथम सूचना प्रतिवेदन की द्वितीय प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर प्रेषित है।

12/02/2015

थाना प्रभारी
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं
एन्टीकरप्शन ब्यूरो, रायपुर, (छ0ग0)

पृ0कमांक/ब्यूरो/राय/थाना/ /2015 रायपुर, दिनांक–12.02.2015
प्रतिलिपि :–

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंन्टीकरप्शन ब्यूरो, रायपुर (छ0ग0) कृपया सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

थाना प्रभारी
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं
एन्टीकरप्शन ब्यूरो, रायपुर,(छ0ग0)

श्री जोशी - DSP - EOW हेतु

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी
रायपुर (छ.ग.)

प्र.पी.-25

(2)

पुलिस हिन्दी

फार्म नं. 1

पृष्ठ कमांक

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रकिया संहित के अंतर्गत)
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

1. *जिला रायपुर *थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण व्युरो, रायपुर *वर्ष 2015 *प्र.सू.प.क 09/2015 *दिनांक.12.02.2015

2. (1)*विधान भा.दं.वि. धाराएं 109,120 बी
   (2)*विधान धारा
   (3)*विधान धारा
   (4)*अन्य विधान एवं धराएं भ्र.नि.अ. 1988 13 (1)(डी) सहपठित धारा 13(2)

3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा कं.
   *(ब)घटना का दिन *दिनांक 12.2.2015 के पूर्व से लगातार *समय
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक दिनांक 12.2.2015 के 13:00 बजे रो.सा. 75/12.02.15

4 सूचना का प्रकार : *लिखत/मौखिक लिखित

5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी करीबन 1 कि0मी0 पूर्व की ओर
   (ब)*घटना स्थल का पता) नागरिक आपूर्ति निगम का मुख्यालय भवन अवंति विहार रायपुर (छ0ग0)
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना

6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम श्री रामकृष्णदुबे निरीक्षक
   (ब)पिता/पति/पालक नाम श्री आर.एस.दुबे
   (स)जन्म दिनांक/वर्ष 54 वर्ष (ड) राष्ट्रीयता भारतीय
   (द)पासपोर्ट नं. जारी दिनांक जारी होने का स्थान
   (क)व्यवसाय नौकरी (ख) पता एन्टी करपशन ब्यूरो रायपुर छ.ग.

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)
   1. शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर
   2. अरविंद ध्रुव, स्टेनो टायपिस्ट
   3. जीतराम यादव, सीनियर असिस्टेंट
   4. त्रिनाथ रेड्डी, ए.ए.ओ.
   5. कीर्तिकांत बारीक, स्टेनो टायपिस्ट
   6. डी.के.चंद्रवंशी, ए.ओ.
   7. जी.के.देवांगन, ए.ओ.
   8. गिरीश शर्मा. एमडी नॉन का पीए
   9. सतीश कैवर्त, क्यू.आई., केशलूर जिला जगदलपुर
   10. हरीश सोनी, क्यू.आई. कांकेर, जिला कांकेर
   11. क्षीरसागर पटेल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्यू आई, रायगढ़
   12. आलोक चंद्रवंशी, क्यू.आई. राजनांदगांव
   13. हरदीप सिंह भाटिया, प्रभारी क्यू.आई (तकनीकी सहायक), वेयर हाउस धमतरी
   14. एस.के.चंद्राकर, क्यू.आई. रायपुर

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी
रायपुर (छ.ग.)

15. सुधीर कुमार भोले, ए.ए.ओ. रायपुर
16. विशाल सिन्हा, क्यू.आई, अबिंकापुर
17. योगेश गुप्ता क्यू.आई, प्रतापपुर
18. के. के. यदु, जिला प्रबंधक, बिलासपुर
19. टी.डी.हरचंदानी, जिला प्रबंधक, धमतरी
20. आर.एन.सिंह, जिला प्रबंधक, सूरजपुर
21. एन.के.धुरंदर, डीएओ, महासमुंद
22. डी.के.शर्मा, नॉन वेयर हाउस प्रभारी, बालोद
23. डी.पी.तिवारी, जिला प्रबंधक बालोद
24. संदीप अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी, रायपुर
25. डी.एस.कुशवाह, क्वालिटी कंट्रोल असि. मैनेजर रायपुर
26. आर.पी.पाठक, क्वालिटी कंट्रोल, असि. मैनेजर
27. मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला
28. एवं अन्य

8. **अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण**
सूत्र सत्यापन के उपरांत

9 **अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)**

10 ***अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का कुल मूल्य**

11 ***मर्म/अकाल मृत्यु सूचना कमांक (यदि हो)**

12. ***प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)**

मैं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में थाना प्रभारी/निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मुझे आज निरीक्षक श्री आर0के0 दुबे एन्टीकरप्शन ब्यूरो रायपुर से पुलिस अधीक्षक एन्टीकरप्शन ब्यूरो रायपुर का पत्र कमांक/पुअ/एसीबी/1165/2015 दिनांक 12.02.15 के माध्यम से अपराध कमांक 0/2015 धारा– 109, 120बी, भा0द0वि0 एवं 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बिना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर में प्रस्तुत किया है। उक्त बिना नंबरी नालसी पर मेरे द्वारा नम्बरी अपराध कमांक 09/2015 धारा– 109, 120बी, भा0द0वि0 एवं 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पंजीबद्ध किया गया। बिना नम्बरी नालसी की नकल जैल है :– मैं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर छत्तीसगढ़ में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि मुझे नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय तथा जिलो में पदस्थ जिला प्रबन्धकों एवं क्यु. आई. द्वारा कस्टम मीलिंग के चावल जमा कराने की आड़ में राईस मिलर्स से अवैध रूप से करोड़ो रूपये की धन वसूली करने संबंधी सूत्र सूचना सत्यापन हेतु प्राप्त हुई थी।

मेरे द्वारा दिनांक 2.01.2015 को मुख्यालय में पंजीकृत गुप्त सूचना का सत्यापन किया गया, जिसमें मैंने पाया कि छत्तीसगढ़ शासन के अधीन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2014–15 का धान उपार्जन कर राईस मिलरों से कस्टम मीलिंग कराया जाकर उसे चावल संग्रहण केन्द्र में शासन की नीति के तहत चावल की निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार इसे जमा कराया जाता है । इस वर्ष भी शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, जिसमें कि चावल की क्वालिटी, ब्रोकन की मात्रा एवं अन्य कई स्पेशिफिकेशन उल्लेखित हैं साथ ही इसके वेट, पैकिंग पर भी स्पष्ट निर्देश हैं । जिनके पालन के बिना चावल को रिजेक्ट किया जा सकता है। चावल की क्वालिटी जॉचने हेतु क्यू.आई. अधिकृत हैं तथा नॉन का गोडाउन इंचार्ज एवं वेयरहाउस इंचार्ज द्वारा उसके पैकिंग एवं स्टेण्डर्ड वेट आदि मापदण्डों की जॉच की जाती है। तदोपरांत सभी जगह से ओके रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मिलर के चावल का संग्रहण किया जाता है । चावल लॉट के जमा दस्तावेजों के आधार पर राईस मिलर्स को फ्रेश कस्टम मीलिंग हेतु इश्यू होता है। इन प्रकियाओं की पेचीदगियो में एवं परेशानियों से बचने हेतु कम गुणवत्ता के चावल को पास कराने के एवज में धनराशि नॉन के अधिकारियों द्वारा अधिकांश राईस मिलरों से अवैध रूप से वसूली जाती है । जिसकी शिकायत मजबूरीवश एवं और अधिक परेशानियों में न पड़ने की वजह से कोई कहीं नहीं कर पाता। यह कि व्यवस्था सुचारू एवं

सत्यापित प्रति
(एस.डी. ...)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

सुदृढ़ रहे, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रबंधक नॉन तथा प्रदेश के मुख्यालय के अधिकारियों की सीधे तौर पर होती है, परंतु अपने दायित्व को सतही तौर पर निभाने का उपकम करते हुये उनके सीधी जानकारी में यह पूरा रैकेट चलता है एवं भारी मात्रा में अवैध धन की उगाही करके हिस्से के रूप में हेडक्वार्टर में भी जमा होता है । यहां उल्लेखनीय है कि किसी भी तरह का लेनदेन की कोई कार्यवाही इन केन्द्रों में व हेडक्वार्टर के शासकीय कार्य में नहीं है। परंतु अवैध धन सामान्य रूप से इन केन्द्रो में एकत्रित होता रहता है एवं केन्द्रों में एकत्रित होकर नॉन मुख्यालय में उपलब्ध रहता है। सूत्र जॉच में उजागर हुआ है कि नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रीतिपात्र अधिकारी शिवशंकर भट्ट, जो कि पूर्व में रिश्वत लेते हुए ट्रेप हो चुका था, परंतु अधिकारियों के बचाये जाने के प्रयास के कारण अब तक प्रकरण में चालानी कार्यवाही से बचता रहा है, के द्वारा खुले तौर पर दुस्साहस के साथ अवैध धन को एकत्रित कर उसके वितरण का कार्य अपने स्वयं के निर्देश एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के आधार पर विश्वस्त अधि./कर्म. अरविंद ध्रुव, जीतराम यादव, त्रिनाथ रेड्डी, एवं कीर्तिकांत बारीक, डी.के.चंद्रवंशी एओ एवं जी.के. देवांगन, एओ आदि के साथ मिलकर तथा नॉन के एमडी के पीए के तौर पर कार्य कर रहे गिरीश शर्मा जो कि वरिष्ठ अधिकारियों का अत्यंत विश्वस्त है, के माध्यम से उक्त धनराशि को गोपनीय रूप से इसका वितरण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिमाह किया जाता है। इसी जॉच में सूत्रों से यह भी पता चला है कि मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ क्यू.आई. द्वारा इसी तरह की वसूली की जाती है, जिसमें कुछ लोकसेवक जैसे कि केशलूर जिला जगदलपुर में पदस्थ सतीश कैवर्त, कांकेर में हरीश सोनी, रायगढ़ में क्षीरसागर पटेल, राजनांदगांव में आलोक चंद्रवंशी, धमतरी में हरदीप सिंह भाटिया जेटीए (नॉन गोदाम प्रभारी), रायपुर में एस.के.चंद्राकर क्यू.आई. एवं सुधीर कुमार भोले, एएओ, सूरजपुर में विशाल सिन्हा क्यू.आई, योगेश गुप्ता क्यू.आई तथा बिलासपुर में पदस्थ जिला प्रबंधक के. के. यदु, धमतरी में पदस्थ जिला प्रबंधक टी.डी.हरचंदानी, सूरजपुर में पदस्थ जिला प्रबंधक आर.एन.सिंह, जिला कार्यालय महासमुंद में पदस्थ एन.के.धुरंदर डीएओ, बालोद में पदस्थ डी.के.शर्मा नॉन गोदाम प्रभारी एवं जिला प्रबंधक डी.पी.तिवारी आदि अवैध वसूली कार्य में संलग्न हैं।

इसी तरह पूरे प्रदेश में क्वालिटी की जॉच हेतु संदीप अग्रवाल, कंपनी सेकेटरी को अधिकृत किये जाने की जानकारी है, जिसके पास क्वालिटी के जॉच करने से संबंधित कोई भी योग्यता नहीं है, इसके साथ एफसीआई से रिटायर्ड अधिकारी डी.एस.कुशवाह एवं आर.पी.पाठक, जो दोनो संविदा पर असि. मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, के द्वारा क्वालिटी जॉच के कार्य को साशय लोप किया जाकर उक्त अवैध वसूली के उद्देश्य से किया जा रहा है एवं स्वयं के फायदे के लिये षडयंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से खराब क्वालिटी के चावल को स्वीकार करने एवं मिलर्स से कस्टम मीलिंग के चावल को परिवहन कराकर ये सभी अधिकारी अपने अपने व्यक्तिगत धन संबंधी लाभ के लिये जमा कराते समय शासन द्वारा निर्धारित कस्टम मीलिंग की सम्पूर्ण प्रकिया के आदेशो, निर्देशों का नियमानुसार पालन न कराकर अनदेखी करने के एवज में अवैध रूप से प्रतिमाह करीबन दो करोड़ रूपये की अवैध वसूली लगातार कर रहे हैं । इस 2 करोड़ रूपये की राशि में से आधी राशि नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को गिरीश शर्मा के माध्यम से उनके हिस्से के रूप में वितरित की जा रही है, शेष राशि को मुख्यालय कार्यालय में पदस्थ उक्त अधिकारी/कर्मचारियों में बॉटी जाती है । मुख्यालय व जिलों में पदस्थ नॉन के सभी अधि./कर्म. लोकसेवक हैं। इनके द्वारा अपने अपने पदो का दुरूपयोग कर भारी मात्रा में रूपयों की अवैध वसूली की जा रही है।

चावल के अलावा दाल, चना एवं नमक की खरीदी में भी मेनीप्लेशन कर कुछ सप्लायर्स से साँठगाँठ कर कम गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदण्डों से निम्न स्तर की सप्लाई इन्हीं अधिकारियों द्वारा की जाने की पुष्टि सूत्रों द्वारा की गई है, इसके एवज में भी भारी धनराशि की अवैध उगाही की जानकारी है । सत्यापन पर यह बात भी पायी गई है कि शिवशंकर भट्ट की अत्यंत विश्वस्त मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला, शिवशंकर भट्ट के हिस्से की धनराशि एवं उसकी बेनामी संपत्ति को छिपाने में मदद करती है ।

सत्यापित प्रति
(एस.डी. ...)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू
रायपुर

सूत्र सत्यापन के दौरान शिवशंकर भट्ट की रायपुर, दिल्ली में जमीन, पेट्रोल पम्प, फ्लैट तथा उसके अत्यंत विश्वस्त मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला एवं उसके रिश्तेदार इत्यादि के नाम पर

करोड़ो रूपये की बेनामी संपत्ति बनाई गई है, जो ग्राम रिसनी, तर्रा, शंकर नगर रायपुर में स्थित है एवं अनेको बैंक एकाउन्ट नंबर व लॉकर इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध हुई है। सूत्र जॉच के दौरान ही अभी यह सूचना प्राप्त हुई है कि नॉन मुख्यालय में पदस्थ प्रबंधक शिवशंकर भट्ट द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट को 20 लाख रूपये पीए टू एमडी गिरीश शर्मा को एक घण्टे के भीतर लाकर देने के लिये कहा है ।

इसी तरह अन्य पैसे का भी वितरण तुरंत ही किया जाने वाला है। उक्त स्थितियों में तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, चूंकि सक्षम न्यायालय से विधिअनुरूप सर्च वारंट लिये जाने की प्रकिया में विलंब होगा एवं इस प्रकिया में अवैध रकम अफरा–तफरी होकर महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जावेंगे । इसलिये अपराध पंजीबद्ध कर बिना सर्च वारंट प्राप्त किये तत्काल रकम बरामदगी की कार्यवाही आवश्यक होने से धारा 13 (1)डी, 13(2) भ्रनिअ 1988 एवं 109 व 120 (बी) भादवि का अपराध पंजीयन कर विवेचना में लिया गया।

(लौरेन्स खेस)
थाना प्रभारी/निरीक्षक
हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 109, 120बी भादवि एवं 13(1)डी सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया. या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना जिला
को, स्थानांतरति किया गया या दं. प्र.सं. की धारा 154 'ब' के अंतर्गत कार्यवाही की गई
अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही–सही अभिलिखित होना स्वीकार किया ।
इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी ।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी
*(नाम) लौरेन्स खेस
*(पद) निरी.
*(नं. यदि है)

अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा
प्रति,
मानतीय न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रनिअ रायपुर) की ओर सूचनार्थ।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी
रायपुर (छ.ग.)

प्र.पी.327

प्रति,
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
रायपुर

विषय :- स्त्रोत सूचना सत्यापन प्रतिवेदन

निवेदित विषय में लेख है कि मेरे द्वारा दिनांक 2.1.2015 को मुख्यालय में पंजीकृत गुप्त स्त्रोत सूचना का सत्यापन किया गया जिसमें मैंने पाया कि छत्तीसगढ़ शासन के अधीन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2014-15 का धान उपार्जन कर राईस मिलरों से कस्टम मिलिंग कराकर उसे चावल संग्रहण केन्द्र में शासन की नीति के तहत चावल की निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार इसे जमा कराया जाता है इस वर्ष भी शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मापदण्ड निर्धारित किए गये थे, जिसमें चावल की क्वालिटी, ब्रोकन की मात्रा एवं अन्य कई स्पेसिफिकेशन उल्लेखित है, साथ ही बारदाने, पैकिंग रेट भी स्पष्ट किया है। जिनके पालन के बिना चावल को रिजेक्ट किया जा सकता है। चावल की क्वालिटी जांच हेतु क्यू० आई० अधिकृत हैं तथा नॉन कार्पोरेशन डेप्युटी एवं केयर टेकर इंचार्ज द्वारा उनके पैकिंग एवं स्टेन्सिल रेट आदि मापदण्डों की जांच की जाती है। तदोपरान्त सभी जांच से ओ.के. रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित लॉट के चावल का संग्रहण किया जाता है। चावल लॉट के जमा दस्तावेजों के

Contd. (2)

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

आधार पर राईस मिलर्स को फ्रेश धन कस्टम
मीलिंग हेतु इश्यु होता है। इन प्रक्रियाओं की पेचीदगियों
में व परेशानी से बचने व कम गुणवत्ता के चावल
को पास करने के एवज में धन राशि नान के
अधिकारियों द्वारा राईस मिलरों से अवैध रूप से
वसूली जाती है। जिसकी शिकायत मजबूरीवश
व अधिक परेशानियों में न पड़ने की वजह से
कोई नहीं कर पाता। यह कि व्यवस्था सुचारू
व सुदृढ़ रहे, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रबन्धक नान
तथा प्रदेश के मुख्यालय के अधिकारियों की
सीधे तौर पर होती है, परन्तु अपने दायित्व
को सतही तौर पर निभाने का उपक्रम करते
हुए उनके सीधी जानकारी में यह क्रम चलता है व भारी मात्रा में अवैध धन की
उगाही करके हिस्से के रूप में हेडक्वार्टर में
जमा होता है यह उल्लेखनीय है कि किसी भी
तरह का लेनदेन की कोई कार्यवाही इन केन्द्रों
में व हेडक्वार्टर के शासकीय कार्य में नहीं है
परन्तु अवैध धन सामान्य रूप से इन केन्द्रों में
एकत्रित होता रहता है व केन्द्रों में एकत्रित होकर
नान मुख्यालय में उपलब्ध रहता है। सूत्र
जांच में उजागर हुआ है कि नागरिक आपूर्ति
निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रीतिपात्र
अधिकारी शिवशंकर भट्ट, जो कि पूर्व में रिश्वत

continued (3)

क्षेत्रे कुछ ट्रेप हो चुका था, परन्तु अधिकारियों के बचाये जाने के प्रयास के कारण अब तक प्रदेश मे चालानी कार्यवाही से बचता रहा है, के द्वारा खुले तौर पर दुस्साहस के साथ अवैध धन को एकत्रित कर उसके वितरण का कार्य अपने स्वयं के निर्देश एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के आधार पर विश्वस्त अधि० कर्म० अरविन्द ध्रुव, जीत राम यादव, त्रिनाथ रेड्डी एवं कीर्तिकांत नायक डी०के० चन्द्रवंशी ए०ओ० एवं बी.के. देवांगन ए.ओ. आदि के साथ मिलकर तथा नॉन के एम डी के पी.ए. के तौर पर कार्य कर रहे गिरीश शर्मा जो कि वरिष्ठ अधिकारियों का अत्यन्त विश्वस्त है, के माध्यम से उक्त धनराशि को गोपनीय रूप से इसका वितरण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिमाह किया जाता है। इसी जांच में मुझे यह भी पता चला है कि मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ वरि० आडि० द्वारा इसी तरह वसूली की जाती है जिसमें कुछ लोकस्पॉट जैसे कि केशलूर जिला जगदलपुर में पदस्थ सतीश केवर्त, कांकेर में हरिश सोनी, रायगढ़ में क्षीरसागर पटेल, राजनांदगांव में आलोक चन्द्रवंशी, धमतरी में हरदीप सिंह भाटिया जे०टी०ए (नॉन गोदाम प्रभारी), रायपुर में एस.के. चन्द्राकर वरि०आडि०, एवं सुधीर कुमार भोले ए.ए.ओ. सूरजपुर में निशान सिन्हा वरि० आडि०, योगेश गुप्ता वरि०आडि० तथा बिलासपुर में पदस्थ जिला प्रबंधक के०के० यदु, धमतरी में पदस्थ जिला प्रबंधक टी.डी. हरचन्दानी, सूरजपुर में पदस्थ जिला प्रबंधक

Continue (4)

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

आर. एम. सिंह, जिला कार्या. महासमुन्द में पदस्थ एम. के. धुरन्धर श्रीरधा, बालोद में पदस्थ डी.के. शर्मा नॉन गोदाम प्रभारी एवं मिल प्रबन्धक श्री.पी. तिवारी आदि अवैध वसूली कार्य में संलग्न हैं।

इसी तरह पूरे प्रदेश में क्वालिटी की जाँच हेतु संदीप अग्रवाल, कम्पनी सेक्रेटरी को अधिकृत किए जाने की जानकारी है, जिसके पास क्वालिटी के जाँच करने से सम्बन्धित कोई भी योग्यता नहीं है, इसके साथ एफ.सी.आई. से रिटायर्ड अधिकारी के.एस. कुशवाह एवं आर.पी. पाण्डे, जो दोनों संविदा पर असि. मैनेजर क्वालिटी कन्ट्रोल की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, के द्वारा क्वालिटी जाँच के कार्य का साक्ष्य लोप किया जाकर उक्त अवैध वसूली के उद्देश्य से किया जा रहा है एवं स्वयं के फायदे के लिए षडयन्त्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से खराब क्वालिटी के चावल को स्वीकार करने एवं मिलर्स से कस्टम मिलिंग के चावल को परिवहन कराकर ये सभी अधिकारी अपने-2 व्यक्तिगत धन सम्बन्धी लाभ के लिए जमा कराते समय शासन द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के आदेशों, निर्देशों का नियमानुसार पालन न कराकर अवहेलना करने के एवज में अवैध रूप से प्रतिमाह करीबन दो करोड़ रुपये की अवैध वसूली लगातार कर रहे हैं इस दो करोड़ रुपये की राशि में से आधी राशि नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों

continue

को गिरीश शर्मा के माध्यम से उनके हिस्से के रूप में वितरित की जा रही है। शेष राशि को मुख्यालय कार्यालय में पदस्थ अन्य अधिकारी / कर्मचारियों में बाँटी जाती है। मुख्यालय व जिलों में पदस्थ नान के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों गण लोकसेवक हैं, इनके द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग कर भारी मात्रा में रुपयों की अवैध वसूली की जा रही है।

चावल के अलावा दाल, चना एवं नमक की खरीदी में भी मैनीपुलेशन कर कुछ सप्लायर्स से सांठगांठ कर कम गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदण्डों से निम्न स्तर की सप्लाई इन्हीं अधिकारियों द्वारा की जाने की पुष्टि सूत्रों द्वारा की गई है, इसके एवज में भी भारी धनराशि की अवैध उगाही की जानकारी है। सत्यापन पर यह बात भी पायी गयी है कि शिवशंकर भट्ट की अत्यन्त विश्वस्त मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला, शिवशंकर भट्ट के हिस्से की धनराशि एवं उसकी बेनामी सम्पत्ति को छिपाने में मदद करती है।

सूत्र सत्यापन के दौरान शिवशंकर भट्ट की रायपुर, दिल्ली में जमीन, पेट्रोल पम्प, फ्लैट तथा उसके अत्यन्त विश्वस्त मधुरिमा उर्फ रीमा शुक्ला एवं उसके रिश्तेदारों इत्यादि के नाम पर करोड़ों रुपये की बेनामी सम्पत्ति बनाई गयी है जो ग्राम रिसाली, तर्री, शंकरनगर रायपुर में स्थित है, एवं इनके बैंक एकाउन्ट नम्बर एवं लॉकर इत्यादि

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

Continued – 6

की जानकारी भी उपलब्ध हुई है कूट
जाँच के दौरान ही अभी यह सूचना प्राप्त
हुई है कि नॉन मुख्यालय में पदस्थ प्रबन्धक
शिवशंकर भट्ट द्वारा अपने स्टेनो टायपिस्ट
को 20 लाख रुपये पी० ए० टू एम डी० गिरीश
शर्मा को एक घण्टे के भीतर लाकर देने
के लिए कहा है। इसी तरह अन्य पैसे
का भी वितरण तुरन्त ही किया जा सकता
है। उक्त स्थितियों में तत्काल कार्यवाही
किया जाना आवश्यक है, चूंकि सक्षम
न्यायालय से विधि अनुरूप सर्च वारंट
लिए जाने की प्रक्रिया में विलम्ब होगा
व इस प्रक्रिया में अवैध रकम इधर-उधर होकर
महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जायेंगे। इसलिए अपराध
पंजीबद्ध कर बिना सर्च वारंट प्राप्त किए तत्काल
रकम बरामदगी की कार्यवाही आवश्यक है कूट
सूचना सत्यापन पर नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय
व जिलों में पदस्थ जिला प्रबन्धकों व अधिकारियों
द्वारा लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का
दुरुपयोग करके अपने लिए और अन्य व्यक्तियों
के लिए धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त किया
जा रहा है। कूट सत्यापन पर

Continue

(7)

धारा 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं 109 व 120B भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 12.2.2015

12.2.2015
(आर. के. दुबे)
निरीक्षक/भी.कल्याणपुरे

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

प्र.पी.326

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- नागरिक आपूर्ति निगम विभाग, रायपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचना।

———— × ————

विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय तथा जिलों में पदस्थ जिला प्रबन्धकों एवं क्वालिटी निरीक्षकों द्वारा कस्टम मिलिंग के चावल जमा कराने की आड़ में राईस मिलर्स से अवैध रूप से करोड़ों रूपये की धन की वसूली की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के अधीन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा धान उपार्जन कर राईस मिलरों से कस्टम मिलिंग कराया जाकर उसे चावल संग्रहण केन्द्र में शासन की नीति के तहत चावल की निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार इसे जमा कराया जाता है।

शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं जिसमें चावल की क्वालिटी, ब्रोकन की मात्रा एवं अन्य कई स्पेसिफिकेशन उल्लेखित हैं

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

Contd - 2

साथ ही उसके रेट, पैकिंग पर भी स्पष्ट निर्देश है जिनके पालन के बिना चावल को रिजेक्ट किया जा सकता है। चावल की क्वालिटी जाँचने हेतु क्यू० आई० अधिकृत है तथा नान का मोडउन इंचार्ज व वेयरहाउस इंचार्ज द्वारा उसके पैकिंग व स्टैन्डर्ड रेट आदि मापदण्डों की जाँच की जाती है। तदोपरान्त सभी जगह से ओके रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित मिलर के चावल का संग्रहण किया जाता है किन्तु कम गुणवत्ता के चावल को पास कराने के एवज में नान के अधिकारियों द्वारा अधिकारी सहित मिलरों से धनराशि अवैध रूप से वसूली जाती है। यह व्यवस्था सुचारू एवं सुदृढ़ रहे इसकी जिम्मेदारी जिला प्रबन्धक नान तथा प्रदेश के मुख्यालय के अधिकारियों की सीधे तौर पर होती है, परन्तु अपने दायित्व को सही तौर पर निभाने का उपक्रम करते हुए उनके सीधी जानकारी में यह पूरा रैकेट चलता है एवं भारी मात्रा में अवैध धन की उगाही करके हिस्से के रूप में हेडक्वार्टर में जमा होता है। नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिपाद

Contd - 3

(3)

अधिकारी शिवशंकर भट्ट, जो कि रंगे मे रिश्वत लेते हुए ट्रेप हो चुका है, के द्वारा खुले तौर पर दुस्साहस के साथ अवैध धन को एकत्रित कर उसके वितरण का कार्य अपने स्वयं के निर्देश एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के आधार पर विश्वस्त अधि/कर्म अरविन्द ध्रुव, जीतराम यादव, त्रिनाथ रेड्डी एवं कार्तिकान्त बारीक, डी.के. चन्द्रवंशी ए.ओ. एवं जी.के. देवांगन ए.ओ. आदि के साथ मिलकर तथा नॉन के एम.डी. के पीए गिरीश शर्मा के माध्यम से उक्त धनराशि को गोपनीय रूप से इसका वितरण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिमाह किया जाता है इसी तरह पूरे प्रदेश मे क्वालिटी की जॉच हेतु संदीप अग्रवाल, कम्पनी सेकेटरी, डी. एस. कुशवाह एवं आर.पी. पाठक असि. मैनेजर क्वालिटी कन्ट्रोल के द्वारा क्वालिटी जॉच के कार्य का साक्ष्य लोप किया जाकर उक्त अवैध वसूली के उद्देश्य से किया जा रहा है इस प्रकार घटिया क्वालिटी के चावल राईस मिलरो से प्राप्त कर राज्य शासन को क्षति पहुंचाई जा रही है।

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2014-15 मे भी धान उपार्जन कर राईस मिलरो से कस्टम मिलिंग कराया जाकर

Cont. (4)

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

निर्धारित गुणवत्ता के चावल संग्रहण केन्द्र में शासन की नीति के तहत जमा कराया जाता है किन्तु नागरिक आपूर्ति निगम के उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने-2 कर्तव्यों का पालन न करते हुए घटिया चावल जमा कराने के एवज में राईस मिलर्स से अवैध वसूली जारी है। राज्य हित में इस सूक्ष्म सूचना का सत्यापन कर कार्यवाही किया जाना उचित होगा। कृपया सूक्ष्म सूचना सादर प्रस्तुत है।

आर. के. ठाकुर
जिरौकक न्यौकरकखुरे
दिनांक 1.1.2015
रायपुर